



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : 32/11 आठ जून 2019

दिनांक : 19.6.19

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मै0 रेनीसेन्स एस्टेट प्रा0लि0 द्वारा पत्र दिनांक: 06.05.2019 के माध्यम से ग्राम-कसेरु बक्सर के खसरा संख्या: 203 व 210 की कुल भूमि क्षेत्र 8720.00 वर्ग मी0 पर यशोदा कुंज विस्तार-2 मेरठ के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या: 32/11 दिनांक: 15.06.2012 को पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा परीक्षण व स्थल निरीक्षण कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक: 31.05.2019 को प्रदत्त अनुमोदन के क्रम उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15क(2) के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो का पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. स्थल के समीप ट्रक सीवर लाईन डाले जाने की स्थिति में आन्तरिक सीवर लाईन को अपने खर्चे हर्जे पर मिलाना होगा। जब तक स्थल पर कालोनी के बाहर सीवर लाईन नहीं डालती है तब तक कालोनी के निकलने वाले सीवर को ठीक करके उसका निस्तारण एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार करना होगा एवं कालोनी के बाहर नाले में किसी भी दशा में सीवर का डिस्पोजल नहीं किया जायेगा।
2. कालोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष अथवा कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित होने तक (जो भी समयावधि अधिक हो) कालोनी की सर्विसेज का रख-रखाव विकासकर्ता अथवा आर.डब्लू.ए. को करना होगा। जब तक कालोनी का स्थानान्तरण आर0डब्लू0ए0 तथा नगर निगम, मेरठ को नहीं किया जाता है तब तक प्राधिकरण में धनराशि रु010 लाख की बैंक गारन्टी बन्धक रहेगी।
3. तलपट मानचित्र में निहित भूमि के स्वामित्व आदि के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने पर विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: मानचित्र की प्रति।

19/06/2019
नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।